

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 03/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 01 जनवरी, 2020

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 879(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 62/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 26 नवम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 2 के खंड (iii) में, "30 अक्टूबर, 2019" और "31 अक्टूबर" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसम्बर, 2019" और "1 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द क्रमशः रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 में, "31 दिसम्बर, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी (भाग 2)]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 62/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 26 नवम्बर, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 879(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।